



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1082]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 16, 2013/वैशाख 26, 1935

No. 1082]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 16, 2013/VAISAKHA 26, 1935

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मई, 2013

का.आ. 1229(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड-3, उप खंड (ii) में प्रकाशित दिनांक 22 फरवरी, 2012 की का.आ. 312 (अ) की अधिसूचना में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्: उक्त अधिसूचना की सारणी, में क्र.सं. 105ए और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

तारिका

क्र. सं.	नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण
(1)	(2)	(3)
105ए	131ए	पश्चिम बंगाल में मालदा से प्रारम्भ होकर रतुआ और देबीपुर को जोड़ते हुए, बिहार राज्य में रारा-31 पर अमदाबाद, मनिहारी, कटिहार को जोड़ते हुए और रारा-27 पर पुर्णियाँ में समाप्त राष्ट्रीय राजमार्ग ।

[फा.सं. एनएच-14012/4/2013 पीएंडएम]

माया प्रकाश, उप सचिव

टिप्पणः राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और उस की अनुसूची भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एसआरओ 1180 तारीख 4 अप्रैल, 1957 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसे अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और पिछली बार संशोधन अधिसूचना संख्या का. आ. 815 (अ) तारीख 22 मार्च, 2013 द्वारा किया गया था ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th May, 2013

S.O. 1229(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of Government of India, in the Ministry of Road Transport and Highways published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number SO 312 (E), dated the 22nd February, 2012, namely:—

In the Table to the said notification, for serial number 105A and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

TABLE

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
"105A	131A	The Highway starting from Malda, connecting Ratua and Debipur in the State of West Bengal, connecting Ahmedabad, Manihari, Katihar on NH-31 and terminating at Purnia on NH-27 in the State of Bihar".

[F.No. NH-14012/4/2013-P&M]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

Footnote :— The National Highways Act, 1956 (48 of 1956) and the Schedule thereto was published in the Gazette of India vide notification number S.R.O. 1180 dated the 4th April, 1957 and was substituted vide notification number S.O.689 (E), dated the 4th April, 2011 and last amended vide notification number S.O. 815 (E), dated 22nd March, 2013.